रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1527] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934

No. 1527] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

का.आ. 1832(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

इस अधिसूचना द्वारा अब घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग को तालिका के स्तंभ (1) (2) और (3) में यथा-विनिर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा तत्संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अत: स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्रम संख्या	नई रारा संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण*
1ए	301	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 पर कारगिल से प्रारंभ होकर जांसकर (जांसकर रोड़) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
1बी	701	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 पर बारामूला से प्रारम्भ होकर राफियाबाद, कुपवाड़ा को जोड़ते हुए तंगधार में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

69ए	220	झारखंड राज्य में रारा-20 पर चाइबासा से प्रारंभ होकर गोविंदपुर, हाता को तथा ओडिशा राज्य में तिरिंगीडीही, रायरंगपुर (रायरंगनगर), जाशीपुर को जोड़ते हुए ढेनकीकोट के निकट रारा-20 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
84बी	326	ओडिशा राज्य में आसिका के निकट रारा-59 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रायागाडा, कोरापुट, जयपोर, मलकानगिरी, मोतु को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में चिंतूरू के निकट रारा-30 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
178बी	153बी	ओडिशा राज्य में रारा-53 पर सारापाल से प्रारंभ होकर रारा-55 पर नकटीडियोल, रेधाखोल को जोड़ते हुए रारा-57 पर बौड़ा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
185ए	157	ओडिशा राज्य में पुरूनाकटक के नजदीक रारा-57 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फुलबनी, कलिंगा, भंजानगर को जोड़ते हुए रारा-59 पर असिका के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
190ए	161	महाराष्ट्र राज्य में रारा-61 पर नांदेड़ से प्रारंभ होकर हिंगोली, वाशिम को जोड़ते हुए रारा-53 पर अकोला पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
206ए	67 वि.	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-40 पर मैदूकुरू से प्रारंभ होकर बडवेल, आत्माकुर, नेल्लौर को जोड़ते हुए कृष्णापट्टम पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
206बी	167 वि.	कर्नाटक राज्य में रारा-67 पर हग्गारी से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश राज्य में अलुर, अडोनी, मंत्रालयम को जोड़ते हुए, कर्नाटक राज्य में रायचूर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में महबूब नगर को जोड़ते हुए रारा-44 पर जड़चेरला पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

*उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं, नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/11-पीएंडएम]
माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण :—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) तथा उसकी अनुसूची को भारत के राजपत्र में 11 सितम्बर, 1956 को प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना का अधिक्रमण अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 395(अ) तारीख 7 मार्च, 2012 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2012

S.O. 1832(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Sl No.	New NH No.	Description of National Highways(NHs)*
(1)	(2)	(3)
1A	301	The highway starting from Kargil on NH-1 and terminating at Zanskar (Zanskar Road) in the State of Jammu and Kashmir.
1 B	701	The highway starting from Baramula on NH-1 connecting Rafiabad, Kupwara and terminating at Tangdhar in the State of Jammu and Kashmir.
69 A	220	The highway starting from Chaibasa on NH- 20 connecting Gobindpur, Hata in the State of Jharkhand and connecting Tiringidihi, Rairangpur (Rairangnagar), Jashipur and terminating at its junction with NH-20 near Dhenkikot in the State of Odisha.
84 B	326	The highway starting from its junction with NH-59 near Asika connecting Rayagada, Koraput, Jaypore, Malkangiri, Motu in the State of Odisha and terminating on NH-30 near Chinturu in the State of Andhra Pradesh.
178 B	153 B	The highway starting from Sarapal on NH -53 connecting Naktideul, Redhakhol on NH- 55 and terminating at Bauda on NH- 57 in the State of Odisha.
185 A	157	The highway starting from its junction with NH- 57 near Purunakatak connecting Phulbani, Kalinga, Bhanjanagar and terminating near Asika on NH-59 in the State of Odisha.
190 A	161	The highway starting from Nanded on NH-61 connecting Hingoli, Washim and terminating at Akola on NH- 53 in the State of Maharashtra.
206 A	67 Ext.	The highway starting from Maidukuru on NH-40 connecting Badvel, Atmakur, Nellore and terminating at Krishnapatnam Port in the State of Andhra Pradesh.
206 B	167	The highway starting from Haggari on NH-67 in Karnataka connecting Alur, Adoni, Mantralayam in the State of Andhra Pradesh connecting Raichur in Karnataka connecting Mahbubnagar and terminating at Jadcherla on NH-44 in the State of Andhra Pradesh.

*The national highway numbers mentioned in column (3) of the above Table are new national highways.

[F. No. NH-14012/10/11-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India on 11th September, 1956 and the said Schedule was superseded *vide* notification number S.O. 689 (E), dated the 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 395(E), dated the 7th March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.